जालौन पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण जागे पुत्र छदामी 2. बच्चा उर्फ शिवशंकर पुत्र पप्पू 3.छक्कू पुत्र रामनाथ 4.मुल्लू पुत्र मियादीन निवासीगण ग्राम बड़ागांव थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0सं0 106/1999 (वाद संख्या-15/2003) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.09.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण छक्कू एवं मुल्लू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शिवदास पाण्डेय वि0 लोक अभियोजक गैंग0 एक्ट

कोर्ट पैरोकार अखिलेश

@jalaunpolice jalaunpolice JalaunPolice